

फोन/Phone: 91-22-6656 5656

ई-मेल/Email: secretary@mumbaiport.gov.in

वेबसाईट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पत्तन प्राधिकरण  
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलाई इस्टेट,

मुंबई - 400 001.

General Administration

Department,

Port House, 2<sup>nd</sup> floor,

S.V. Marg, Ballard Estate,

MUMBAI - 400 001.



सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-उमुअ/1152

16 मार्च 2023

### भर्ती सूचना

अध्यक्ष

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मिश्रित पद्धति के अंतर्गत रु. 80000-220000 के वेतनमान में उप मुख्य अभियंता का पद भरना -संबंधी.

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता का पद दि. 1.7.2023 से रिक्त हो रहा है. यह पद अनुलग्नक - I में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले, महापत्तनों के अधिकारियों से मिश्रित पद्धति के जरिए आमेसन द्वारा भरा जाना है.
2. चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र प्रेडिग(श्रेणीकरण) "ट्टेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.
3. अनुलग्नक- I में यथा उल्लिखित निर्धारित अर्हतायें तथा अनुभव धारण करने वाले सभी महापत्तन प्राधिकरणों के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन 17.3.2023 से 17.4.2023 तक पोत परिवहन मंत्रालय की वेबसाईट (<http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन को प्रस्तुत करनी होगी ताकि वे उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आगे अग्रेषित कर सकें.
5. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित कागजातों सहित उनके उपर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता पद के लिए आवेदन" लिखने के बाद 2.5.2023 को अथवा उसके पूर्व अग्रेषित करने होंगे.

(...2)

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2017-18 से 2021-22 तक) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर के नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- (ii) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;
- (iii) शैक्षिक अर्हता के सभी प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणों तथा संबंधित पद तथा वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य अनुभव की सत्यापित फोटो प्रतियाँ.
- (iv) संबंधित पत्तन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक से लिया गया वचननामा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया तो वह उसकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा;
- (vi) संबंधित पत्तन से प्रशासनिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (अनुलग्नक II).
- (vii) निर्धारित फॉर्मेट (अनुलग्नक III) में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है.
- (viii) दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स
- (ix) पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर यदि कोई छोटा या बड़ा दण्ड लगाया गया हो तो ऐसे दण्ड की ओर ले जाने वाले अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजातों को आवेदन सहित अप्रेशण प्राधिकरण द्वारा भेजा जाए.

6. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उम्मीदवार से आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के मामले में, **यदि उसका आवेदन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम के जरिए पत्तन से प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी उम्मीदवारी का विचार नहीं किया जाएगा.** अतः महापत्तनों से अनुरोध है कि वे आवेदनों को संलग्नकों के संपूर्ण सेटसहित **2.5.2023** को या उसके पहले अग्रेषित करे. **उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.**

7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को एक ही समय पर सभी संगत दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी है. आंशिक/ टुकड़ों में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दि.11.8.2021 के परिपत्र सं.ए-29018/4/2081/पीअ-I के अनुसार पात्रता मानदण्डों की निर्णायक तिथि आवेदन के समापन की अंतिम तिथि अर्थात् **1.7.2023** होगी.

(...3)

9. महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार जो पत्तन पदधारी, सेवा चयन समिति द्वारा उनका चयन होने के बाद अपनी उम्मीदवारी को वापस लेंगे, वे दो वर्षों की अवधि के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों के उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों पर भविष्य में चयन पर रोक के लिए उत्तरदायी होंगे.

10. अपूर्ण आवेदनों तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,

*मुरारि-राम शर्मा*

सचिव

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

संलग्न. यथोक्त.

प्रतिलिपि:

✓ 1) सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन  
और जलमार्ग मंत्रालय,  
नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित.  
परिपत्र की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ईमेल पते:  
[pravin.s@nic.in](mailto:pravin.s@nic.in) और [web-ship@gov.in](mailto:web-ship@gov.in).  
पर अग्रेषित की गई है.

(ध्यानाकर्षण: श्री संदीप गुप्ता,  
निदेशक, पीएचआरडी)

2) संयुक्त निदेशक-को वेबसाईट पर डालने के  
लिए प्रेषित.

स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग

| क्र.स. | पद का नाम                | पदों की संख्या | वर्गीकरण   | वेतनमान (रुपये) | पद चयन है या गैर चयन | सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में) | सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ   | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है | परिवेक्षा की अवधि (वर्षों में) | भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा )   | पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है  | अभ्युक्ति |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|---|-----------|
| 1      | 2                        | 3              | 4          | 5               | 6                    | 7  | 8  | 9  | 10                             | 11   | 12  | 13        |
| 72     | उप मुख्य अभियंता (सिविल) | 7              | श्रेणी - I | 16000-400-20800 | चयन                  | 42 वर्ष  | अनिवार्य :<br>i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से नागरी अभियांत्रिकी में पदवी या समकक्ष<br><br>ii) औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में योजना/ निर्माण/ अभिकल्प/ अनुरक्षण विशेषकर पोर्ट एवं समुद्री संरचना में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्षों का अनुभव | क) नहीं<br>ख) हाँ<br>ग) नहीं   | लागू नहीं                      | संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन अथवा<br><br>अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा<br>या दोनों नहीं होने पर<br><br>सीधी भर्ती द्वारा. | महापत्तन न्यास में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा नागरी अभियांत्रिकी विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 रुपये वेतनमान में 3 वर्ष से कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी अथवा महापत्तन न्यास में सिविल अभियांत्रिकी विभाग में दो वर्षों से नियमित कार्य कर रहे और 10750-16750 रु एवं 13000-18250 रु वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्षों से नियमित कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन के योग्य है.<br><br>सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त निकायों में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी और सिविल अभियंता विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 रु वेतनमान में 3 वर्षों से कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के योग्य है. चयन गुणवत्ता के आधार पर होगा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेंचमार्क की सम्पूर्ण ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" होना आवश्यक है. |           |

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पदनाम -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष हैं.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2017 से 31.3.2022) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदधारी समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति के जरिए आमेलन हेतु भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में यथा निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के संबंध में अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर

## मुंबई पत्तन प्राधिकरण MUMBAI PORT AUTHORITY

**अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.**

|     |   |   |          |
|-----|---|---|----------|
| 1.  | अधिकारी का नाम (संपूर्ण)  | : |          |
| 2.  | पिता का नाम   | : |          |
| 3.  | जन्म तिथि   | : |          |
| 4.  | सेवा निवृत्ति की तिथि   | : |          |
| 5.  | सेवा प्रवेश की तिथि   | : |          |
| 6.  | अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है                    | : |          |
| 7.  | संशोधित वेतनमान   | : |          |
| 8.  | क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है | : | हाँ/नहीं |
| 9.  | वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि                                      | : |          |
| 10. | धारण किए गए पद (पिछले दस वर्षों के दौरान)   | : |          |

| अ.क्र. | संगठन (संपूर्ण नाम) | पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान | संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग | द्वारा | तक |
|--------|---------------------|-----------------------------|---|--------|----|
|        |                     |                             |   |        |    |
|        |                     |                             |   |        |    |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 11. | क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण (*).   | : |  |
| 12. | क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.) | : |  |
| 13. | क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)   | : |  |
| 14. | क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)   | : |  |

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 15. | यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)    | : |  |
| 16. | यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या है. (*) | : |  |

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(\* ) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.